4.आकस्मिक परिस्थितियों में उपचार

4. (अ) आकस्मिकता की स्थिति में जीवन रक्षा हेतु उपचार

आकस्मिक परिस्थितियों में जब जीवन रक्षा हेतु तत्काल उपचार प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, योजना का सदस्य या आश्रित न्यास से अनुबंधित चिकित्सालय में जाकर दाखिल हो सकेगा एवं चिकित्सालय में इमरजेन्सी ऐडमीशन सॅर्टीफिकेट एवं पीएआर के साथ इकाई प्रमुख को रेफरल पत्र भेजने हेतु अनुरोध करेगा। 24 घंटे में इकाई प्रमुख द्वारा रेफरल पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार किया जावेगा। अनुबंधित चिकित्सालय द्वारा योजना के सदस्य/आश्रित से कोई धन राशि नहीं ली जावेगी।

4. (ब) आकस्मिकता की स्थिति में जहॉ तत्काल उपचार प्रारम्भ करना आवश्यक हो चिकित्सालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

आकस्मिकता की स्थिति में सदस्य/आश्रित की जीवन रक्षा हेतु बिना रैफरल के ही अनुबंधित चिकित्सालय में सदस्य/आश्रित के जाने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल आवश्यक उपचार प्रारम्भ करने के साथ ही CERTIFCATE FOR EMERGENCY ADMISSION & TREATMENT (प्रारूप–6), PAR (प्रारूप –5), जारी कर रैफरल प्राप्त करने हेतु संबंधित इकाई प्रमुख को अनुरोध किया जावेगा । निर्धारित समयसीमा के भीतर इकाई प्रमुख से रैफरल पत्र प्राप्त न होने पर उपचाररत सदस्य/आश्रित को संबंधित बीमारी/सर्जरी के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय में जाने की सलाह देगें । पात्रता न होने पर कर्मचारी स्वयं के व्यय पर उपचार करा सकेगा ।

4. (स) आकस्मिकता प्रकरण में रैफरल

चिकित्सालय से मउमतहमदबल कउपेपवद बमतजपपिबंजमए PAR प्राप्त होने पर अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त कर इकाई प्रमुख द्वारा रैफरल पत्र जारी किया जायेगा ।